



पृष्ठभूमि

- दिशा योजना के तहत, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का अब अधिल भारतीय स्तर पर विस्तार किया गया है।
- यह एक बहु-हिताधारक, प्रगतिशील और परिवर्तनकारी ट्रूटिकोण की परिकल्पना करता है जो कानूनी अधिकारों, अधिकारों और प्रारंभिक कानूनों पर महत्वपूर्ण जानकारी और जागरूकता के लिए कमज़ोर वर्गों को सक्षम करने के लिए नवीन विचारों, उपकरणों और सरलीकृत पद्धति को एकीकृत कर रहा है।

उद्देश्य

कार्यक्रम और वितरण के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ साझेदारी करके विधिक साक्षरता को मुख्यधारा में लाना

मौजूदा जमीनी स्तर/फ्रंटलाइन कार्यबल/स्वरांसेवकों का क्षमता निर्माण और उपयोग

प्रश्नावशीलता को मापने के लिए संकेतक विकसित करना

समवर्ती मूल्यांकन और आवधिक मूल्यांकन

भागीदार एजेंसियां

1

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्तर पर विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन।

2

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बंगलूरु, कर्नाटक

“डिजिटल कानूनी साक्षरता-प्रसार और आकलन”

3

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, श्रीपाल, मध्य प्रदेश

“डिजिटल विधिक साक्षरता – डिजाइन, विकास, प्रबंधन और परीक्षण –ई-न्यायगंगा”।

4

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), नई दिल्ली

“उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में प्रशिक्षण और जागरूकता सप्र आयोजित करना” (अधिकारों का ज्ञान प्रगति की पहचान है)।

5

अरुणाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण (एपीएसएलएसए), इटानगर, अरुणाचल प्रदेश

“औपचारिक न्याय प्रदर्शनी प्राप्तांती पर गंत बुरास और गंतबुरियों की क्षमता निर्माण द्वारा “पारंपरिक ग्राम परिवेद प्रणाली और भारत के औपचारिक कानूनों की प्रशासन प्रशासनों के बीच तात्प्रेरण”।

6

सिविकम राज्य मठिला आयोग (एसएसएडब्ल्यू), गंगटोक, सिविकम

“कर्मसाहियों छात्रों और वर्कर सहायता समूहों के संस्थानों जैसे विशेषज्ञ हिताधारकों के लिए “कारोस्थल पर मठिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, घेरेलू हिसा से मठिलाओं की संरक्षण अधिनियम, 2005 मानव तरकीरी रेखा” पर प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम।

7

मनोविकित्सा विभाग, जवाहरलाल नेहरू विकित्सा विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस), इमफाल ईस्ट, मणिपुर

“प्रशिक्षण और जागरूकता सप्र आयोजित करके “बात यौन शोषण के रितान मीडियाकरियों, छात्रों, हिताधारकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण”।

8

सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनोमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी (सीकोडेकॉन), जयपुर, राजस्थान

“राजस्थान के 5 आकंक्षी जिलों में मठिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना”।

9

श्रीडो एडवरटाइजिंग एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा

ओडिशा राज्य में “अधिनियम विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम”।

10

यशवंतराव चह्याण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा), पुणे, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र की विनिःखत ग्राम वंवाराओं में “विधिद्रूप को बढ़ावा देना”।

11

विधि अनुसंधान संस्थान (आईएलआरआई), गुवाहाटी, असम

“भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रशासन कानूनों का दरतातेजीकरण”।

12

बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (बिपर्ड), पटना, बिहार

ग्रामीण बिहार में विनिःखत किए गए “विधिमित्रों को बढ़ावा देना”।

13

अब्दुल नजीर उप राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मैसूर, कर्नाटक

(सैटकॉम) प्रौद्योगिकी के माध्यम से “पंचायत ग्रामीण संस्थान (पीआरआई) विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम का प्रशिक्षण और संवेदीकरण”।

14

मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिलांग, मेघालय

सामुदायिक मध्यस्थान के माध्यम से न्याय तक पहुंच बढ़ाने पर परियोजना।

अंतर-मंत्रालयी अभियान



- 4 लघु फिल्मों विकसित की गई हैं। इन लघु फिल्मों का पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रसार किया जा रहा है।



- न्याय विभाग द्वारा प्रदान की गई कानूनी साक्षरता सामग्री शिक्षाकों, छात्रों और अधिकारकों को शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई स्कूल शिक्षा के वेब पोर्टल दीक्षा (स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा) पर अपलोड की गई है।

सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर वेबिनार

न्याय विभाग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय-स्तर के सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर कानून जागरूकता वेबिनार शृंखला का आयोजन किया गया है। अब तक न्याय विभाग ने सोलह वेबिनार आयोजित किए हैं। इन सोलह राष्ट्रीय-स्तरीय वेबिनारों के माध्यम से, न्याय विभाग 3.87 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुँच तुका है।



22 सितंबर 2021 को “घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम” 2005 पर आयोजित वेबिनार, 48,299 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।

14 नवंबर 2021 को “बाल अधिकारों पर आयोजित वेबिनार”
17,644 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।



26 नवंबर 2021 को “मौलिक कर्तव्य” विषय पर आयोजित वेबिनार, 24,082 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।

7 जनवरी 2022 को “गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग वर्णन निषेध) अधिनियम 1994” पर आयोजित वेबिनार, 15,080 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।



18 फरवरी 2022 को “कार्यस्थल पर महिलाओं का योन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” पर आयोजित वेबिनार, 19,158 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।

8 मार्च 2022 को “भारत में लैंगिक न्याय” पर आयोजित वेबिनार, 35,332 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।



25 अप्रैल, 2022 को “कानून के साथ संघर्ष में बच्चे” पर आयोजित वेबिनार, 20,207 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।

27 मई, 2022 को “वाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन” पर आयोजित वेबिनार, 24,715 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।





➤ 29 जून, 2022 को “मानव तस्करी” पर आयोजित वेबिनार, 30,627 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।

31 अगस्त, 2022 को “वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार” पर आयोजित वेबिनार, इसे 13,255 लाभार्थियों से संपर्क किया गया।



➤ 28 अक्टूबर 2022 को “भारत में साइबर अपराध” पर आयोजित वेबिनार 30,442 लाभार्थियों तक पहुंचा।

25 नवंबर 2022 को “संवैधानिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों” पर आयोजित वेबिनार 37,481 लोगों तक पहुंचा।



➤ 27 दिसंबर, 2022 को “भारत में विकलांग व्यक्तियों” के अधिकार पर आयोजित वेबिनार 16,612 प्रतिभागियों तक पहुंचा।

30 जनवरी 2023 को “भारत में विचाराधीन कैटियों” के अधिकार पर आयोजित वेबिनार 17,960 कार्यकर्ताओं तक पहुंचा।



➤ 6 मार्च 2023 को “ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके अधिकारों का संरक्षण” पर आयोजित वेबिनार 29,851 प्रतिभागियों तक पहुंचा।

28 मार्च 2023 को “उत्प्रोक्ता अधिकारों का संरक्षण” पर आयोजित वेबिनार 21,143 प्रतिभागियों तक पहुंचा।



➤ 12 जून, 2023 को “भारत में बाल श्रम” पर आयोजित वेबिनार 25,133 प्रतिभागियों तक पहुंचा।

